



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 232 राँची, गुरुवार,

19 मई, 2022 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना
19 मई 2022

संख्या: 03नि0/पं0-23/2022 रा0नि0आ0 1296—झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) की धारा 55 (क) एवं (ख) तथा झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 (यथा संशोधित) के नियम 17 में सन्निहित प्रावधान के अधीन झारखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के संदर्भ में सभी 24 (चौबीस) जिलों में जिला परिषद् के अध्यक्षीय पदों का आरक्षण एवं आवंटन के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 914 दिनांक 09/05/2022 के दृष्टिगत विहित प्रपत्र-3 में प्रकाशित किया जाता है।

प्रपत्र- 3

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र / प्रादेशिक / क्षेत्रिय निर्वाचन क्षेत्र संख्या / नाम	कोटि जिसके लिये आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिये आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	I गढ़वा	अनुसूचित जाति	महिला
2.	II पलामू	अनुसूचित जाति	अन्य

3.	III लातेहार	अनुसूचित जनजाति	अन्य
4.	IV चतरा	अनुसूचित जाति	महिला
5.	V हजारीबाग	अनारक्षित	अन्य
6.	VI कोडरमा	अनारक्षित	अन्य
7.	VII गिरीडीह	अनारक्षित	महिला
8.	VIII देवघर	अनारक्षित	अन्य
9	IX गोड्डा	अनारक्षित	महिला
10	X साहेबगंज	अनुसूचित जनजाति	महिला
11	XI पाकुड़	अनुसूचित जनजाति	महिला
12	XII दुमका	अनुसूचित जनजाति	अन्य
13	XIII जामताड़ा	अनुसूचित जनजाति	महिला
14	XIV धनबाद	अनारक्षित	महिला
15	XV बोकारो	अनारक्षित	अन्य
16	XVI रामगढ़	अनारक्षित	महिला
17	XVII लोहरदगा	अनुसूचित जनजाति	अन्य
18	XVIII गुमला	अनुसूचित जनजाति	महिला
19	XIX खूंटी	अनुसूचित जनजाति	अन्य
20	XX राँची	अनुसूचित जनजाति	महिला
21	XXI सिमडेगा	अनुसूचित जनजाति	अन्य
22	XXII पश्चिमी सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति	महिला
23	XXIII सरायकेला-खरसावाँ	अनुसूचित जनजाति	अन्य
24	XXIV पूर्वी सिंहभूम	अनुसूचित जनजाति	महिला

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0/- (अस्पष्ट)

सचिव ।